न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 66/2017 प्रार्थना पत्र

शकुन्तला देवी पत्नी गिरधारीलाल खटीक, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थीया

//बनाम//

1. भंवरलाल पिता शंकर रेगर, आयु वयस्क, निवासी मण्डावली।
2. जगदीश पिता शंकर रेगर, आयु वयस्क, निवासी मण्डावली।
3. बदाम बाई बेवा शंकर रेगर, आयु वयस्क, निवासी मण्डावली।
4. प्रभुलाल पिता धनराज नाई, आयु वयस्क, निवासी मण्डावली।
5. उदी पुत्री धनराज नाई, आयु वयस्क, निवासी मण्डावली।
6. शान्ति पुत्री धनराज नाई, आयु वयस्क, निवासी मण्डावली।
7. सीता पुत्री धनराज नाई, आयु वयस्क, निवासी मण्डावली।
8. सोहनी पुत्री धनराज नाई आयु वयस्क, निवासी मण्डावली।
9. शम्भुलाल पिता पन्नालाल नाई, आयु वयस्क, निवासी मण्डावली।
10. गोपाल पिता पन्नालाल नाई, आयु वयस्क, निवासी मण्डावली।
11. दिनेश पिता पन्नालाल नाई, आयु वयस्क, निवासी मण्डावली।
12. सुरेश पिता पन्नालाल नाई, आयु वयस्क, निवासी मण्डावली।
13. बगदी बाई पुत्री पन्नालाल नाई, आयु वयस्क, निवासी मण्डावली।
14. नाराणी बाई बेवा पन्नालाल नाई, आयु वयस्क, निवासी मण्डावली, तहसील निम्बाहेड़ा।
15. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

– विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.</u>

निर्णय दिनांक 10.07.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा मण्डावली की खाता संख्या 34 की आराजी नं. 413 रकबा 2.1400 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। इसमें प्रार्थीया का 1/2 तथा विपक्षी संख्या 1 से 3 का 1/2 हक हिस्सा निहित है। इसी अनुसार अपने अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजीयात का पुराने नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं था। वर्तमान में नवीन सेटलमेण्ट में राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थीया के कब्जे की आराजीयात का नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दिया

है। प्रार्थीया के कब्जे की आराजी पश्चिम दिशा की आराजी नं. 412 से लगी हुई और प्रार्थीया इसी हक हिस्से पर काबिज चली आ रही है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के हिस्से के मध्य उत्तर दक्षिण पाली पड़ी हुई है। इसी अनुसार वर्तमान में भी काबिज चले आ रहे हैं परन्तु वर्तमान नक्शा ट्रेस में प्रार्थीया के हिस्से की आराजीयात को गलत रूप से पूर्व पश्चिम तरमीम कर दिया है जबकि उत्तर से दक्षिण आराजी नं. 412 के पूर्वी दिशा से लगी हुई तरमीम होना चाहिए था। प्रार्थीया पूर्वानुसार एवं मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम करवाना चाहती है तथा कब्जे अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नवीन नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्त कर तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 14 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये गये। विपक्षी संख्या 15 तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने जवाब एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए राजस्व रेकार्ड में संशोधन किये जाने की अनुशंषा की है तथा वर्तमान मौका अनुसार संशोधन प्रस्ताव भी तैयार कर प्रस्तुत किये हैं।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीया ने नकल जमाबन्दी संवत 2070-73 ग्राम मण्डावली की खाता संख्या 34 व 124 की प्रमाणित प्रतियां, हाल नक्शा ट्रेस मौजा मण्डावली, साबिक नक्शा ट्रेस मौजा मण्डावली, नकल जमाबन्दी संवत 2065-68 ग्राम मण्डावली की खाता संख्या 230, मिलान क्षेत्रफल ग्राम मण्डावली प्रस्तुत किये हैं। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। साबिक नक्शा ट्रेस में प्रार्थीया की आराजीयात की तरमीम नहीं है। वर्तमान नक्शा ट्रेस में जो तरमीम सेटलमेण्ट अधिकारियों द्वारा की गई है, उसे प्रार्थीया गलत बताती है। भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 20.05.2019 में अंकित किया है कि वर्तमान आराजी नं. 413 रकबा 2.1400 हैक्टेयर का साबिक आराजी नं. 357 मी रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा तथा वर्तमान आराजी नं. 411 रकबा 3.1700 हैक्टैयर भूमि का साबिक आराजी नं. 357/780 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा दर्ज रेकार्ड था। पुराने राजस्व नक्शे में आराजी नं. 357/780 व 357मी को उत्तर से दक्षिण की ओर दर्शाया गया था जबकि वर्तमान राजस्व नक्शे में आराजी नं. 411 व 413 को गलत रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर दर्शाया गया है जो कि गलत है। साथ ही संशोधन प्रस्ताव मय रेकार्ड के प्रस्तुत किये हैं। प्रस्ताव अनुसार मौके की स्थिति अनुसार नक्शा ट्रेस में संशोधन किये जाने से किसी भी खातेदार के हिस्से अथवा रकबे में कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कमी बेशी नहीं होगी। विपक्षीगण के बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से भी प्रार्थीया के कथनों को बल मिलता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के आधार पर एवं साबिक नक्शा ट्रेस एवं नवीन नक्शा ट्रेस में प्रकट अन्तर के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत भूमि मौजा मण्डावली की खाता संख्या 34 की आराजी नं. 413 रकबा 2.1400 हैक्टेयर भूमि में निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते हैं–

क्र. सं.	वर्तमान प्रविष्ठी			प्रस्तावित संशोधन		
	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार
1	411	3.17	प्रभुलाल 6/20, उदी, शांति, सीता, सोहनी 4/20 पिता धनराज, शम्भुलाल, गोपाल, दिनेश, सुरेश, बगदी बाई पिता पन्नालाल, मु. नाराणी बाई पत्नी पन्ना लाल नाई 1/2 सा. देह	411 में से पूर्व 413 मे से पूर्व	1.87 1.30	प्रभुलाल 6/20, उदी, शांति, सीता, सोहनी 4/20 पिता धनराज, शम्भुलाल, गोपाल, दिनेश, सुरेश, बगदी बाई पिता पन्नालाल, मु. नाराणी बाई पत्नी पन्ना लाल नाई 1/2 सा. देह
2	413	2.14	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी गिरधारीलाल खटीक सा. लसड़ावन 1/2, भंवरलाल, जगदीश पिता शंकर 3/8, मु. बदाम पत्नी शंकर 1/8 रेगर, सा. देह	411 में से पश्चिम 413 में से पश्चिम	1.30 0.84	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी गिरधारीलाल खटीक सा. लसड़ावन 1/2, भंवरलाल, जगदीश पिता शंकर 3/8, मु. बदाम पत्नी शंकर 1/8 रेगर, सा. देह

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 10.07.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.20 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: